

भारतीय नगर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

भारत का ध्वज



UTTAR PRADESH

DL 559844

भारत का ध्वज



श्रीमती सरस्वती एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट

आहुरन, डेमा, बदलापुर, जीमपुर, उ०प्र०।

कार्यालय का नाम-	उपनिबन्धक-बदलापुर, जनपद जीमपुर
प्रस्तुत करने की तिथि:-	15.12.2018
निष्ठावन की तिथि	15.12.2018
प्रस्तुत कर्ता का नाम व पता:-	श्रीमती शिवेदी पुत्र राम रामवत शिवेदी राम आहुरन, पी० डेमा, बदलापुर, जनपद जीमपुर, उ०प्र०।
दिलेख की प्रकृति-	दस्तावेज
प्रतिफल की प्रकृति	नी सभा के समर्थन।
कुल अदा किया गया स्टाम्प	एक हजार पचास ही अक्षय पात्र।
1. संस्था का नाम-	श्रीमती सरस्वती एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट।
2. संस्था का पता	श्रीमती शिवेदी पुत्र राम रामवत शिवेदी राम आहुरन, पी० डेमा, बदलापुर, जनपद जीमपुर, उ०प्र०। पिन कोड- 222125

~~1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...~~

3

उप महाविद्यालयी
 परीक्षा
 - 5 मई 2016
 कक्षा

उप महाविद्यालयी परीक्षा
 कक्षा



...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559845

ट्रस्टनामा

यह ट्रस्ट/डीक/न्यास विनाश आज दिनांक 10.12.2018 को सचीव द्विवेदी पुर स्व0 समनक्ष द्विवेदी ग्राम खजुरा, पो0 डेगा, बदलापुर, जनपद जौनपुर, उ०प्र० द्वारा निष्पादित किया जा रहा है जो भारतीय ट्रस्ट/न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया प्रस्तावित है। जिसे श्रीमती सरस्वती एजूकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा।

2. ट्रस्ट का मुख्यालय— इसका मुख्यालय ग्राम खजुरा, पो0 डेगा, बदलापुर, जनपद जौनपुर, उ०प्र० पिन कोड 222125 रहेगा। संयत कार्य की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यालय ट्रस्टों के संस्थानक मण्डल के दो तिहाई बहुमत से अल्पत राशियाँ जा सकेंगी।

3. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र— सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश व भारत वर्ष।

4. ट्रस्ट का कोष—पंजीकृत ट्रस्ट स्थापित कर्ता द्वारा दी गयी प्रारम्भिक पूंजी 9,000 रुपये के अतिरिक्त सदस्य से अन्य न्यासी, समूह, समुदाय, सहयोगी, अभिकरण, दानकर्ता तथा अन्य से प्राप्त होने वाला सीधे व बैंक के माध्यम से चल आयत सम्पत्ति एवं भिन्ने भी पूंजी में जुड़ने वाली किसी न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों के गतिविधियों में खर्च किया जायेगा।

R. Prasad.

१. नाम - श्री. अशोक कुमार सिंह
 २. पता - ...
 ३. ...
 ४. ...
 ५. ...

...
 ...
 ...

उप क्षेत्राधिकारी
 जयपुर
 - ६ ४० ३३६
 जयपुर

नाम - ...
 पता - ...
 ...

...




...
 (अशोक कुमार सिंह)
 उप निबंधक (जयपुर)
 जयपुर
 ...


...
 ...
 ...



...
 ...
 ...



...
 ...
 ...



...
 ...
 ...

...
 (अशोक कुमार सिंह)
 उप निबंधक (जयपुर)
 जयपुर
 ...

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

एक सौ रुपये

₹ 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

एक सौ रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559846

उद्देश्य—

1. उत्तर प्रदेश में जन मानस को समकालीन शिक्षा प्रदान करना व करना।
2. समय समय पर महापुरुषों को प्रशस्त तथा अन्य समाजोपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन करना।
3. समाज के सभी वर्गों को संगठित कर सभी राष्ट्र और समाज की सेवा व सेवा को शिक्षा देने के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में बीएचएड, पी.टी. सी, ली कालेज, बीपीएच, बीएड, एवं समाजक अन्य प्रोफेशनल कोर्स की स्थापना करना एवं संचालित करना।
4. जनमानस को लक्ष्यविज्ञान एवं अधिका से दुष्परिणामों से जागरूक करना तथा उन्हें शिक्षित करने जगृत करना।
5. बालक/बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए नर्सरी, प्रारंभिक, प्रारंभिक, इण्टरमीडिएट विद्यालय, स्नातक, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम नर्सिंग होम, अस्पताल, व्यायामशाला व विद्यार्थी पूल की स्थापना करना एवं रख रखाव करना। विद्यालयों, महाविद्यालयों, अनाथालयों, चिकित्सा केंद्रों, मैट्रिकल कालेजों, इंग्लिशमिडियम कालेज, व मधरस तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना एवं परामार्थ संस्थानों जैसे अकादमी, अपाठिनी और पीक्सो हेतु आश्रमपूत्र की स्थापना जनता निवाहन, परिपालन एवं सहायता करना।

१. नाम - श्री. अशोक कुमार
 २. पता - ...
 ३. ...
 ४. ...

...
 ...
 ...

जय ज्योतिबा फुले
 ...
 - 5 - 11 - 2016
 ...

Registration No. 42 Year: 2016

010) ...

...
 ...



भारतीय गैर न्यायिक

Rs. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 557847

6. सम्पूट्टर ज्ञान से संबंधित तथा ज्ञानज्ञान से सनित अनुभूतियों का प्रचार एवं प्रसार करना व जन जागरूकता हेतु समय समय पर ट्रेड द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जावेगा।
7. सम्पूट्टर के ज्ञान को सभी लोगों तक प्रचार एवं प्रसार व करना।
8. सर्वधर्म समन्वय की भावना को प्रोत्साहित करना तथा प्रत्येक धर्म-तत्त्वों से जल-जन को अवगत कराना।
9. वैदिक, जगद्वेद जैसे भूकम्प, सुखा, बाढ़ एवं विवादी आदि के समय प्रोत्साहित लोगों को सहायता प्रदान करना। अस्वास्थ्य स्थितियों की सहायता करना।
10. सभी कार्यों का सम्पादन जाति धर्म वर्ण एवं धर्म के भेद भाव से रहित होकर करना। गरीब लक्षितों हेतु स्वयंसेवक पत्रक वितरित देना एवं जागरूक करना।
11. संस्था के सभी सदस्यों की पूर्ति हेतु धन जुटाना, धन देना, वर अवगत सम्पत्ति प्राप्त करना, अधिस्त करना, बनाना, रख रखाव करना व संचालन करना।
12. सांस्कृतिक एवं नैतिक सद्विचारों का प्रचार प्रसार करना। सदियों का निर्माण करना व उसका रख-रखाव करना।
13. प्रभुत्व कुटुम्बकन की धारणा को प्रत्येक जीव में अनुप्राणित करना एवं विश्वशांति के लिए प्रेरित करना व शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ अन्य प्रचार करने वाली सामग्री का प्रयोग करना।

Handwritten text and a rectangular stamp. The stamp contains the following text:
उप-निरीक्षक
राजपुर
3
दिनांक 15 11 2018
राजपुर

Registration No. 42 Year: 2018 Book No. 2

W1 उप-निरीक्षक राजपुर
राजपुर
दिनांक 15 11 2018
राजपुर



W2 उप-निरीक्षक राजपुर
राजपुर
दिनांक 15 11 2018
राजपुर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559848

14. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कम्प्यूटर से संबंधित कालिक पाठ पत्रिकाओं, पुस्तकों और पत्रकों का प्रकाशन करना/करवाना अथवा इनका विक्रय या वितरण करना, पुस्तकालय, वाचनालय, रीजल सेंटर व छात्रावास की व्यवस्था करना व रख रखाना करना।
15. विद्यार्थी व जनसमुदाय विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना व उनकी शिक्षा हेतु संशोधन प्रदान करना, समाज के उपेक्षित वर्ग को प्रत्येक उचित स्थान दिलाने हेतु प्रयत्न करना।
16. संस्था के काम को सुरक्षित एवं लाभकारी रूप में रखना एवं संस्था के कार्य संचालन हेतु स्थायी कोष की स्थापना करना।
17. संस्था की अचल सम्पत्ति व स्थायी कोष की सुरक्षा के लिए अभ्युक्त व्यवस्था करना।
18. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य सभी ऐसे कार्य करना जो आवश्यक, प्रासंगिक एवं लाभकारी हों।
19. ट्रस्ट के सभी कार्य विचार/प्रस्तावना को प्रदान में रखकर किये जायेंगे। यह एक वैरिटेबुल प्रकृति का ट्रस्ट कहलायेगा।



[Handwritten Signature]

સાચું સંખ્યા: ... નો. ...
જા. ...
સંખ્યા ...
જા. ...
જા. ...

સાચું સંખ્યા ...
જા. ...
જા. ...

૩૭૫ કોમ્પોઝિટરી
વાળાનું
- 5 ૪૩૪ ૨૦૧૬
ગોળનું





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559849

संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा कार्यों को सुचारु रूप से एवं व्यवस्थित रूप से सम्पादित करने के लिए ट्रस्ट का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रस्ट में कुल 03 सदस्य होने जिन्हें ट्रस्टी कहा जाएगा। इसका मुख्यालय दस्तावेज में उल्लिखित पते पर ही होगा। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रस्ट के उद्देश्यों, शिक्षाओं तथा सदस्यों को सम्पूर्ण विश्व में प्रसारित-प्रसारित एवं किमान्छिठ करना है ताकि समस्त प्राणियों का आर्थिक/सांसायनिक भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण हो सके। संस्था का संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा होगा तथा प्रशासनिक व्यवस्था हेतु एक केन्द्रीय प्रबंध समिति होगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का प्रमुख संस्था का अध्यक्ष कहलायेगा। संस्था के अध्यक्ष/सचिव राष्ट्रीय द्विपदीय पुत्र 100 सम्बन्ध द्विपदीय धाम खजुरन, पीठ देवा, बदलापुर, जनापद जौनपुर, उत्तरप्र। होंगे।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज/केन्द्रीय प्रबंध समिति का गठन-

ट्रस्ट के सदस्यों की संख्या 03 होगी। इसकी सहायता हेतु सभी व्यक्ति जहाँ होगा उसे ट्रस्ट के शिक्षार्थियों में आस्था एवं विश्वास रखेंगा। संस्था में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति ही पात्र होंगे। आरम्भ में सदस्यों को 500 रु0 प्रथम वारके ट्रस्टी बनना होगा। केन्द्रीय प्रबंध समिति हेतु इन्ही सदस्यों में से ही पदाधिकारियों का चयन होगा। अध्यक्ष/सचिव के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों का चयन संस्था के

Handwritten text at the top of the page, including a title and several lines of information.

Handwritten text in the middle section, possibly a date or reference number.

Official stamp box containing the text:
लक्ष्मी नगरीपालिका
बजार
- 5 11 2016
बीजार



Main body of handwritten text, appearing to be a formal notice or report, with multiple lines of text.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559650

अध्य सदस्यों की समिति से करेंगे। इस समिति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। इस समिति को सम्पादन होने के पूर्व सभी समिति का मकलम कर लिया जावेगा। इस समिति में एक अध्यक्ष एक सचिव तथा एक कोषाध्यक्ष होंगे। इनमें आवश्यकानुसार पदा की संख्या में प्रबन्धक/सचिव की अनुमति से परिवर्तन भी किया जा सकेगा। प्रबन्धक/सचिव का कार्यकाल आजीवन रहेगा तथा उनके त्याग पत्र देने या आसन्नयिक निधन हो जाने के कारण उसके वैयक्तिक संतान/समाश्रितियों ही होंगे।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज के प्रबंध समिति के अधिकार व कर्तव्य-

ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुकूल कार्यों को अनुष्ठित करना इसका कर्तव्य होगा। समिति के बैठकों में लिए गये निर्णयों को पदाधिकारियों के माध्यम से स्थानस्थ समितियों द्वारा सम्पन्न करना इसका कर्तव्य होगा। किसी भी स्तर पर पदाधिकारियों या कर्मियों में इसकी प्रति उदासीनता या अनिष्टता को घोर अनुशासनहीनता समझा जावेगा तथा इस संस्था के शिष्टों के प्रातिकूल आचरण को सख्त ही जायेगा। समिति के निधान के अनुसार ऐसी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

केन्द्रीय प्रबंध समिति/बोर्ड आफ ट्रस्टीज के प्रबन्धक/सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज को समस्त बैठकों में प्रबन्धक/सचिव का वास्तविक रूप कर्तव्य कार्यवाही का सम्पादन करना अनिवारित व्यवहार जीव अनावश्यक विवाद को रोकना, आम सहाय्यता का प्रयास करना।



१९५५-५६
 १९५६-५७
 १९५७-५८
 १९५८-५९
 १९५९-६०

१९६०-६१
 १९६१-६२
 १९६२-६३
 १९६३-६४
 १९६४-६५

१९६५-६६
 १९६६-६७
 १९६७-६८
 १९६८-६९
 १९६९-७०

१९७०-७१ १९७१-७२ १९७२-७३ १९७३-७४ १९७४-७५

१९७५-७६
 १९७६-७७
 १९७७-७८
 १९७८-७९
 १९७९-८०
 १९८०-८१
 १९८१-८२
 १९८२-८३
 १९८३-८४
 १९८४-८५
 १९८५-८६
 १९८६-८७
 १९८७-८८
 १९८८-८९
 १९८९-९०
 १९९०-९१
 १९९१-९२
 १९९२-९३
 १९९३-९४
 १९९४-९५
 १९९५-९६
 १९९६-९७
 १९९७-९८
 १९९८-९९
 १९९९-००
 २०००-०१
 २००१-०२
 २००२-०३
 २००३-०४
 २००४-०५
 २००५-०६
 २००६-०७
 २००७-०८
 २००८-०९
 २००९-१०
 २०१०-११
 २०११-१२
 २०१२-१३
 २०१३-१४
 २०१४-१५
 २०१५-१६
 २०१६-१७
 २०१७-१८
 २०१८-१९
 २०१९-२०
 २०२०-२१
 २०२१-२२
 २०२२-२३
 २०२३-२४
 २०२४-२५





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559851

2. ट्रस्ट की सम्पूर्ण कार्यो का निरीक्षण करना और कर्तव्यों का पालन करना एवं उन सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो संस्था के सुलभालन एवं सुप्रकार के लिए आवश्यक हैं।
3. घण्टी एवं प्रस्तावों के अधिकार पर अपना अन्तिम निर्णय देना।
4. ट्रस्टीज के प्रस्ताव पर मत विन्यता की स्थिति में मतदानकरण।
5. किसी विषय पर सन्तान भा प्रान्त होने पर अपने निजी मत के अतिरिक्त एक निर्णायक मत प्रदान करना।
6. सन्तानों के कार्य में साधा उत्तरान करने, प्रबन्धकीय आदेश का उल्लंघन करे, उदण्डता या अकारणों का प्रयोग करने वाले सदस्य या महानुभाव को बैठक की कार्यवाही छोडने का आदेश देकर बैठक को अनुरासिध करना।
7. किसी भी चरसामिति जिससे संस्था के हितों को मुकसान पहुंचाने की संभावना हो या संस्था की सम्पत्ति को हानि पहुंचाने की परिस्थिति हो तत्काल भंग करना तथा एक सन्तान के भीतर कोई एक ट्रस्टीज की बैठक बुलाकर नवीन व्यवस्था हेतु प्रबंध करना। प्रबंधक/सचिव का कार्यकाल आजीवन रहेगा।

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. ट्रस्ट की समस्त आय व्यय पर निरीक्षण रखना।
2. अकाउंट की स्वीकृति से सभा के व्यय का सुपत्तान करना।
3. संस्था का धंदा या अन्य धन प्राप्त करना, वसूलना एवं संस्था की ओर से रसीद जारी करना।
4. ट्रस्ट/समिति के किसी भी पदाधिकारी की प्रदात समस्त अधिकार/कर्तव्यों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करना।

१. ...
 २. ...
 ३. ...
 ४. ...
 ५. ...

१. ...
 २. ...
 ३. ...

१. ...
 २. ...
 ३. ...
 ४. ...



...
 ...
 ...
 ...
 ...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559852

3. संस्था के आय व्यय का सम्पूर्ण हिसाब रखना एवं प्रति बैठक में बोर्ड आफ ट्रस्टीज के समक्ष प्रस्तुत करना।
6. बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा संसुचित प्रस्ताव बैंक में या स्थान पर संस्था का समस्त धन जमा करना।
7. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्था का आधे वर्ष विवरण व बही खातों को जांचित करवाना एवं बोर्ड आफ ट्रस्टीज संस्था के समक्ष प्रस्तुत करना।
8. ट्रस्ट की समस्त समितियों का विवरण रखना।
9. उन सभी कार्यों को करना जो बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा चन्दे सौंपे जायें।

बोर्ड की बैठकें एवं कोरम-

ट्रस्ट बोर्ड की एक वित्तीय वर्ष में (जो 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च की अवधि का होगा) सात बैठकें को आहूत करना आवश्यक होगा। अधिक बैठकें प्रबंधन अनुसार आहूत की जा सकतीं। ऐसी बैठक में कोरम बोर्ड संख्या का आधा होगा। यदि कोरम की पूर्ति सम्प्रसन्न पर नहीं होगी है तो विशेष परिस्थिति में धन संरक्षकों की उपस्थिति पर ही बैठक सम्पन्नित की जा सकती।

र - 5

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, including the name of the organization and the date.

Handwritten text in the middle section, likely providing details about the meeting or the specific agenda item.

उपरोक्त विषय पर
- 5 मई 2016
संलग्न



Main body of handwritten text, which appears to be a detailed report or minutes of a meeting, covering various points and conclusions.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559853

बोर्ड सदस्यों में शिक्तता की पूर्ति-

इस ट्रस्ट परमाणु में उल्लिखित कारणों या अन्य किसी परिस्थिति में बोर्ड सदस्य का बोर्ड स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति करने का निर्णय बोर्ड बैठक में बहुमत से रय होगा। यन्तु इसके लिए प्रमुख ट्रस्टी (प्रबन्धक/सचिव) को पास सम्बन्धित नुर्दाता होगा।

दस्तावेज पत्र-

ट्रस्ट सेवा से मुक्त होने के इच्छुक ट्रस्टी को प्रबन्धक/सचिव को त्यागपत्र सौंपना होगा जिसे बोर्ड में विचारार्थ रखा जाएगा। बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात सेवा से मुक्त होने के इच्छुक सदस्य ट्रस्ट के सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जायेंगे। यदि कोई ट्रस्ट किसी न्यायालय द्वारा किसी गम्भीर अपराध का दोषी घोषित किया जाता है, या विघटित हो जाता है तो बोर्ड उसे सदस्यता से धरित कर शिक्तित कर सधेनी।



[Handwritten signature]

1. संख्या - 100/2018
 2. दिनांक - 05/01/2018
 3. प्राप्त - 05/01/2018
 4. व्यक्ति - श्री. राजेश कुमार
 5. पता - ...

30/01/2018
 113

- 5 01 2018
 नौगढ़



(The following text is extremely faint and illegible, appearing to be a formal notice or order.)

(Faint signature or text at the bottom of the page.)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559854

बैंक खाता-

1. ट्रस्ट का बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या सहायता प्राप्त बैंक में खोला/रखा जाएगा।
2. बैंक खाते का संचालन प्रबन्धक के हस्ताक्षर से होगा।
3. आवस्य-सौजन्यहीन अतिरिक्त राशि को बोर्ड के निर्णयानुसार स्थायी जमा राशि में रूपांतरण किया जाएगा।

कानूनी कार्यवाही-

ट्रस्ट द्वारा या उसके विरुद्ध सभी कानूनी कार्यवाही, कार्यवाहियों कोषाध्यक्ष के नाम से निर्गत की जायेगी, किन्तु आवश्यकतानुसार बोर्ड किसी विशेष व्यक्ति को अपने निर्णयानुसार यह अधिकार दे सकती। ट्रस्ट के सभी वाद जनपद जौनपुर न्यायालय में घोषणीय होंगे।

वार्षिक सभा-

ट्रस्ट के बोर्ड की एक वार्षिक बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् तीन माह के भीतर अवश्य बुलाई जायेगी जो वार्षिक सार्वजनिक सभा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री गणेशाय नमः
 श्री कृष्णाय नमः
 श्री रामाय नमः
 श्री हनुमत्स्य नमः

श्री गणेशाय नमः
 श्री कृष्णाय नमः
 श्री रामाय नमः
 श्री हनुमत्स्य नमः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री गणेशाय नमः
 श्री कृष्णाय नमः
 श्री रामाय नमः
 श्री हनुमत्स्य नमः
 ५ NOV 2018
 श्री गणेशाय नमः



(Faint, mostly illegible text surrounding the central stamp, possibly bleed-through from the reverse side of the page.)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 599855

कागजातों। इसमें विहित लेखा जोखा पाया किया जावेगा। माताएँ दूर वर्ष के कार्य कक्षाओं की समीक्षा व आने वाले वर्ष के कार्यों के निर्धारण इस सभा के विशेष बिंदु होंगे। अन्य विषयों पर भी जो आवश्यक होंगे विचार विमर्श/चर्चा की जावेगी, सन्तुष्टार बोर्ड उस पर निर्णय लेगा।

सभा सूचना-

ट्रस्ट के किसी भी बैठक के निर्णय की सूचना सभा आहूत करने के दिन से उस दिन पूर्व देनी होगी। किन्तु किसी आकस्मिक बिंदु पर विचारार्थ सभा हेतु कम समयवाधि की सूचना द्वारा भी वेध होगी।

संशोधन व विसंगति-

ट्रस्ट विधान में किसी प्राविधान के माध्य विसंगति की अवस्था में उससे स्पष्टीकरण का अधिकार बोर्ड के बहुमत के अधार पर तय होगा। नियम, व्यवस्थाओं या किसी प्रकार के विधान संशोधन हेतु बोर्ड का 2/3 का न्यायिकार आवश्यक होगा।

 *R. K. Singh*

Handwritten text at the top of the page, possibly including a title or header in Hindi.

Handwritten text in the middle section, possibly a signature or a specific note.

उपस्थित
23
5 157 2016
गोपुर



Main body of handwritten text, appearing to be a letter or report, written in Hindi.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559856

ट्रस्ट की ज़िम्मेदारी सीमांकन-

ट्रस्ट के किसी भी ट्रस्टी का अपने पनामान से किये गये कार्य से उत्पन्न किसी भुगतान हेतु वह ज़िम्मेदार नहीं होगा। किन्तु कदाचरण और अनिधायन जनित क्षति का वह निश्चित रूप से ज़िम्मेदार होगा। शर्त ऐसे व्यक्ति के विलम्ब कार्रवाई के साथ साथ निष्कारण की प्रक्रिया भी सम्पन्न कर सकेंगी।

जायदाद का विहायीकरण-

ट्रस्ट के अधीन सृजित सभी स्थायी व अस्थायी सम्पत्तियों का सम्पूर्ण मालिकाना हक बोर्ड का होगा। यदि किसी अवस्था में किसी ट्रस्ट के व्यक्तिगत नाम से भी कोई सम्पत्ति ट्रस्ट के कोष में सृजित हो गयी है तो उस पर भी मालिकाना हक ट्रस्ट बोर्ड का ही होगा। न्याय/ ट्रस्ट पर प्राविजन इन्फेन्स ट्रस्ट की सभी बातें जानूँगी।


R. Jaiswal

Handwritten text at the top of the page, including a date and other illegible characters.

Handwritten text in the middle section, possibly a signature or reference number.

उप निदेशिका
पंजाब
- 5 अक्टूबर 2018
पंजाब





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559657

संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम व पते, पद तथा व्यवसाय
 विगधी संस्था के इस स्मृति पत्र के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

क्रमांक	नाम तथा पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१	२	३	४	५
१.	श्री विश्वरूप द्विवेदी पुत्र स्व. रामचंद्र द्विवेदी	ग्राम कटुन, पो. डेरा, जिला सीतापुर।	अध्यक्ष	समाजसेवा
२.	श्रीमान द्विवेदी पुत्र स्व. रामचंद्र द्विवेदी	ग्राम कटुन, पो. डेरा, जिला सीतापुर।	प्रबन्धक/सचिव	समाजसेवा
३.	श्रीमान रामचंद्र द्विवेदी पुत्र स्व. रामचंद्र द्विवेदी	ग्राम कटुन, पो. डेरा, जिला सीतापुर।	अध्यक्ष	समाजसेवा

हम इसका प्रमाण पत्र प्रमाणित करते हैं कि हमने इस स्मृतिपत्र/ट्रस्ट का संरक्षण निरामादली के अनुसार सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

1. उप निदेशिका
 2. उप निदेशिका
 3. उप निदेशिका
 4. उप निदेशिका
 5. उप निदेशिका

263
 12/11/2016

उप निदेशिका
 12/11/2016

1. उप निदेशिका

क्र.सं.	नाम	पद	वर्ग	वर्ष	विवरण
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



1. उप निदेशिका



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 559858

गवाहान-

1. राजेश कुमार सिंह *राजेश कुमार सिंह*
पुत्र स्व. त्रिलोचन सिंह
ग्राम ब पीठ देगा, तहसील बदलापुर, जौनपुर।



2. प्रमोद कुमार शुक्ला *प्रमोद कुमार शुक्ला*
पुत्र स्व. विश्वनाथ शुक्ला
ग्राम खजुरन, पीठ देगा,
तहसील बदलापुर, जौनपुर।



Prakash

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, including the name 'श्री १०८ श्री गणेशाय नमः'.

Handwritten text in the middle section, possibly a signature or a specific instruction.

श्री गणेशाय नमः
१०८
श्री गणेशाय नमः



Faint handwritten text or notes located to the right of the circular stamp.

भारतीय नगर न्यायिक



Rs. 100

HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DL 559861

प्राचीन दिनांक 15.12.2010

Handwritten signature

महाविद्यालय - रामेन्द्र प्रसाद मिश्रा (एलएलबी) (प्राचीन बदलपुर, जौनपुर)

दाता/प्राप्त - हरिशंकर बदलपुर, जौनपुर।

Handwritten signature: हरिशंकर

Handwritten signature: Received [Stamp]

12-11-2016
12-11-2016
12-11-2016
12-11-2016
12-11-2016

12-11-2016
12-11-2016
12-11-2016

12-11-2016
12-11-2016
12-11-2016

12-11-2016
12-11-2016
12-11-2016
12-11-2016
12-11-2016



दिनांक 15/12/2016 को
पृष्ठ नं. 4 पृष्ठ नं. 15
पृष्ठ नं. 87 से 122 पर समाप्त 42
संशोधित किया गया।

(अतिरिक्त अधिकारी के द्वारा)

(प्रमोद कुमार सिंह)

उप निदेशक (ब्यवस्थापन)

औरंगाबाद

15/12/2016



Send no more money



8526665808

Handwritten text on the bottom right, including a phone number and other illegible information.

Handwritten text at the top left of the document, possibly a name or address.



Handwritten text below the QR code.



Handwritten text below the graphic.

Handwritten text below the graphic.

9554645034
Handwritten text in the middle of the document.

Handwritten text in the middle right of the document.

Handwritten text at the bottom right of the document.

Handwritten text at the bottom right of the document.